—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 112/2022

उनवान

विष्णु पुत्र रामपाल जाति नाई निवासी ग्राम ढाल, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. रामलाल पुत्र घासी,
2. दुर्गा पुत्र घासी,
3. कंचन पुत्री घासी,
4. सोना पुत्री घासी
5. मोरा पुत्री घासी जाति नाई नि0 ढाल, नसीराबाद,
6. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा नसीराबाद,,
7. उप पंजीयक, नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 6 अनुपस्थित, 7 व 8 राज. पैरोकार

9. नौरत,
10. सांवरलाल,
11. महावीर,
12. गीता,
13. मंजू पि0 रामपाल जाति नाई नि0 ढाल, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— 9 से 13 अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 30/6/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढाल में प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पिता की आंवटनशुदा भूमि सिति है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसालाा ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
459	18—10—4 मे से 3—0	1007 मिन	0.20	804	0.20
		1001 मिन	0.26	815	0.26
		1001 मिन	.02	816	0.02

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपरोक्त आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पूर्वज घासी व रामपाल भाई थे। जिनको सनन् फसली सवंत 2018 में चौसाला खसरा नम्बर 459 में से 3 बीघा का आवंटन हुआ था। किन्तु दौराने बंदोबस्त वंर्किग जम़ाबंदी बनाते समय प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पिता रामपाल का नाम हटा दिया गया। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकार के प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जारवे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 जरियें अधिवक्ता उपस्थित हुये किन्तु प्रकरण विचारण के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 6 व 9 से 13 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :–

प्रार्थी का कथन है कि आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पूर्वज घासी व रामपाल भाई थे। जिनको सनन् फसली सवंत 2018 में चौसाला खसरा ननम्बर 459 में से 3 बीघा का आवंटन हुआ था। किन्तु दौराने बंदोबस्त वंर्किग जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पिता रामपाल का नाम हटा दिया गया। हाल खसरा नम्बर राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पूर्व राजस्व अभिलेख के इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण बताया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण का खण्डन नही किया है। उनके द्वारा भूमि का बैचान किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। भूमि के स्वामित्व का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का खण्डन नही करने के कारण मूल वाद के निस्तारण तक भूमि का सरंक्षण न्यायोचित है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का बैचान अथवा दखलदांजी करने से वाद बहुलता होगी। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्राथी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम ढाल के हाल खसरा नम्बर 804 रकबा 0.20, 815 रकबा 0.26 व 816 रकबा 0.02 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:16 IST
Reason: SelfAttested